

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (117)परि/नियम/1994 / 3999

जयपुर, दिनांक : 25.06.2012

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्वारा राज्य में नवीन पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाले एवं पूर्व पंजीकृत मध्यम एवं भारी, यात्री एवं भार यानों में, दिनांक 15.07.2012 से, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में यथा विनिर्दिष्ट जांच ऐजेंसियों द्वारा प्रमाणित AIS: 018 मानक के अनुरूप स्पीड गर्वनर लगवाना अनिवार्य करती है।

राज्यपाल के आदेश से,


(महेन्द्र सोनी)
उप शासन सचिव (मु0)

क्रमांक : एफ 7 (117)परि/नियम/1994 / 4000-4009

जयपुर, दिनांक : 25.06.2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 25.06.2012 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को प्रेषित करवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय परिवहन राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), जयपुर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर।
7. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
8. समस्त प्रादेशिक/अति0 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, राजस्थान।
9. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, परिवहन विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव (मु0)